reciprocity, mutual respect and understanding. The Indo-U.S. Joint Commission provided an institutional framework for promoting co-operation between the two countries. After the annual session of the Commission in October, 1975, there has been progress in terms of activity in a number of sectoral fields. The Sub-Commission on Science and Technology, which met in January, 1976, the first meeting of the Indo-US Joint Business Council in February and the meetings of the Sub-Committee on Museums in February, 1976, the Indo-US Seminar on Methods in History in March, 1976, as well as the forthcoming meeting of the Sub-Commission on Economic and Commercial Cooperation in March are some of the instances of a mutual effort to seek concrete areas of fruitful co-operation.]

Linking of cities with Delhi through S.T.D.

*403. SHRIMATI AZIZA AMAM :

SHRI BHAIRAB CHANDRA MAHANTI :

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI :

SHRI S. W. DHABE :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the number of cities which are directly connected by S.T.D. with Delhi ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI S. D. SHARMA) : 24 cities are connected to Delhi by S.T.D. at present on full time basis. These are :—

1. Bombay
2. Madras
3. Trivandrum
4. Bhopal
5. Ahmedabad
6. Jaipur
7. Kanpur
8. Patna
9. Lucknow
10. Jammu
11. Agra
12. Meerut
13. Srinagar
14. Simla
15. Gandhinagar
16. Amritsar
17. Hapur
18. Modinagar
19. Gurgaon
20. Jullundur
21. Chandigarh
22. Chherata
23. Alwar
24. Sonepat

In addition, night S.T.D. service is also available to the following cities :—

(i) Calcutta (one way with Delhi)
(ii) Bangalore
(iii) Coimbatore
(iv) Madurai
(v) Poona
(vi) Surat
(vii) Nagpur (one way from Delhi)
(viii) Ernakulam.

Indians in Angola

*404. PROF. RAMLAL PARIKH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Indians who have settled down in Angola ; and

(b) what steps Government have taken to protect their interests during the present conditions in Angola ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) To our knowledge there are no Indian nationals settled in Angola.

(b) Does not arise.

विशेष सैल द्वारा फालतू कर्मचारियों को रोजगार का दिया जाना

*405. **डा० रामकृपाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1975 के अन्त में केन्द्रीय सरकार के विशेष सैल के रजिस्टर पर कितने फालतू कर्मचारी थे ; और

(ख) इन कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं ?

†[**Absorption of surplus employees by Special Cells**

* 405. DR. RAMKRIPAL SINHA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the number of surplus employees on the rolls in Special Cells of the Central Government at the end of December, 1975; and

(b) the nature of the schemes formulated for providing job opportunities to these employees ?]

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सूचना इस प्रकार है :-

सेल का नाम	31-12-1975 को रजिस्टर में दर्ज कर्मचारियों की संख्या
1	2
(1) केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल (i) केन्द्रीय सरकार के I, II और III के कर्मचारी	31
(ii) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी IV कर्मचारी	19
(2) फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, पश्चिम बंगाल के फालतू घोषित कर्मचारियों को नियुक्ति सहायता देने के लिए विशेष कक्ष	1186
(3) सरकारी और निजी क्षेत्रों की मुख्य परियोजनाओं के फालतू घोषित कार्मिकों को नियुक्ति सहायता देने के लिए अधिशेष कक्ष।	31-12-1975 को रजिस्टर में 198 फालतू घोषित कर्मचारी दर्ज थे। इन सब को नियुक्ति सहायता दी जा चुकी है।

†[ ] English translation

(ख) केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट वर्गों के फालतू घोषित कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति सहायता देने की योजना के अन्तर्गत, फालतू घोषित कार्मिकों को इन कक्षों में भेज दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी अनुसचिवीय पदों में सीधी भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध है, जब तक कि प्रत्येक वर्ग के पद के लिए सेल से हर बार इस संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जाता कि सेल के पास भेजने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं। फालतू घोषित कर्मचारियों को समान वेतन-मानों की रिक्तियों में नियुक्त किया जाता है और उन्हें प्रापक संगठन में स्थानान्तरित किया गया समझा जाता है।

जहां तक फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के फालतू घोषित कर्मचारियों का प्रश्न है, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, पश्चिम बंगाल से परामर्श करके इन्हें नियुक्ति सहायता देने की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल के रोजगार कार्यालयों में अधिसूचित रिक्तियों उनके द्वारा विशेष कक्ष को उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि यह सेल फरक्का बैरेज के फालतू घोषित कर्मचारियों का सम्प्रेषण कर सके। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के मुख्य नियोजकों से सम्पर्क स्थापित करके इन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के फालतू घोषित कर्मचारियों को सम्प्रेषण के मामले में प्राथमिकता III दी गई है और उन्हें आयु-सीमा में भी छूट दी गई है।

जहां तक, मुख्य परियोजनाओं के फालतू घोषित कर्मचारियों का संबंध है, सरकारी/निजी क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने फालतू